

## प्रेस नोट

## थाना-निजामाबाद

थाना क्षेत्र में हुई चोरियों के आभूषण, नगदी, एक अवैध असलहा, जिन्दा कारतूस व चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण के साथ

## एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज चोरी के मुकदमें के अनावरण हेतु निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 रत्नेश कुमार मय राह के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील होकर फरिहा चौक पर मौजूद थे कि मुखबिर खास ने सूचना मिली की साहब कुछ व्यक्ति चोरी करने के इरादे से फरिहा रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे रहे हैं कि मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास करके जरिये दूरभाष पुलिस बल को साथ लेकर मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके साथ लेकर व अपने-2 मोटर साइकिलों से फरिहा रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे कि फरिहा रेलवे स्टेशन पर आम के बाग की तरफ सुनसान जगह पर एक पेड़ के पीछे 04 व्यक्ति आपस में कुछ बातचीत करते हुये दिखाई दिये कि पुलिस वालों कि आहट व अचानक अपनी तरफ आता देखकर चारों व्यक्ति उठकर एक प्लास्टिक की बोरी लेकर भागने लगे कि पुलिस वाले दौड़ाकर एक बारगी घेरकर 01 व्यक्ति को पकड़ लिये व 03 व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर बाग के तरफ भागने में सफल रहे। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सिद्धू चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र चौहान उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मोहम्मदाबाद चालीसवां थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ व हाल पता इटौरा जेल चौराहा ग्राम संमेदा सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया। पकड़े गये व्यक्ति से उसकी जामा तलाशी ली गई तो उक्त व्यक्ति के पास से चोरी करने के उपकरण 01 लोहे का रम्मा , 01 हथौड़ा , 02 अदद छेनी व एक टार्च व एक अदद तमंचा 7.65 बोर , 01 अदद जिन्दा 7.65 बोर कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति से उक्त बरामद सामानों के संबंध में कड़ाई से पूछा गया तो बताया कि आज लोग चोरी की योजना बना रहे थे तथा मेरे साथ विपिन पुत्र शेखराज निवासी सादीसराय थाना सिधारी , गुड्डू साहनी पुत्र रामचरन साहनी निवासी मड़या थाना कोतवाली , विनोद पुत्र दुखहरन निवासी सादीसराय थाना सिधारी साकिनान जनपद आजमगढ़ थे जो भाग गये। लोग घूमफिर कर चोरी करते हैं। तत्पश्चात पकड़े गये व्यक्ति से अन्य जगहों से चोरी के संबंध में पूछा गया तो बताया कि साहब लोगों द्वारा फरिहा चौराहे के पास दिसम्बर में दिनांक 25.12.2020 को एक सुनसान मकान में छत से घुसकर कुछ गहना चोरी किया गया तथा दिनांक 30.01.2021 को रात में शेरपुर चौराहे पर संध लगाकर कपड़े की दुकान में चोरी की गयी थी जिसमें मेरे हिस्से का कुछ सामान मेरे घर रखा है , तत्पश्चात वादी मुकदमा को बुलाकर साथ लेकर व पकड़े गये अभियुक्त के साथ उसके घर पर पहुंच कर तलाशी ली गई तो घर से उसके द्वारा पूर्व में किये गये चोरी के कुछ सामान बरामद हुये। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 27/21 धारा 401,411भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0न्यायालय चालान किया गया।

**पूछताछ विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्त से पूछने पर बता रहा है कि साहब लोग एक साथ होकर रात में जगह जगह पर चोरी करने का योजना बनाकर चोरियां की जाती है।

**पंजीकृत अभियोग -** मु0अ0सं0- 27/21 धारा 401,411भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- सिद्धू चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र चौहान उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मोहम्मदाबाद चालीसवां थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ व हाल पता इटौरा जेल चौराहा ग्राम संमेदा सिधारी जनपद आजमगढ़

**बरामदगी-**

1. एक प्लास्टिक की बोरी में 01 लोहे का रम्मा , 01 हथौड़ा , 02 अदद छेनी व एक टार्च
2. एक अदद तमंचा 7.65 बोर 01 अदद जिन्दा 7.65 बोर कारतूस
3. 04 अदद साड़ी व 3600 रुपया नगद
4. चांदी के 04 जोड़ी पायल व 01 चांदी का सिक्का

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 श्री रत्नेश कुमार दूबे थाना निजामाबाद, आमजगढ़
2. उ0नि0 श्री मोतीलाल पटेल थाना निजामाबाद, आमजगढ़